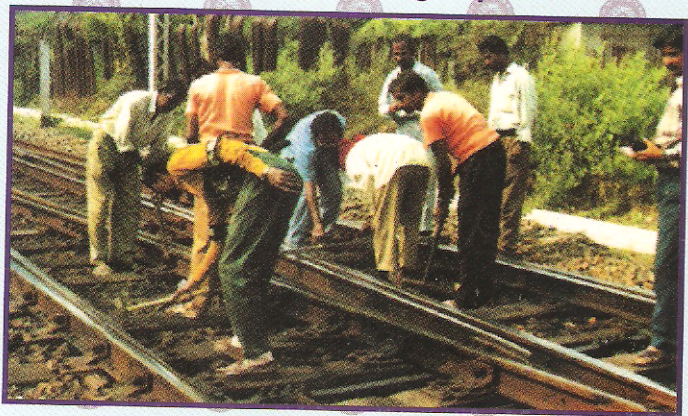




भारतीय रेल **INDIAN RAILWAYS**

इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों
के लिए निरीक्षण कार्यक्रम नियमावली
**Manual of Inspection Schedules For
Officials Of Engineering Department**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

**"अधिक निरीक्षण अधिक
उत्पादकता की कुंजी है."**

(ब्लैंकार्ड ईटी. एएल द्वारा वन मिनट मैनेजमेंट एंड
लीडरशिप से उद्धरण)

**"YOU CAN EXPECT MORE
IF YOU INSPECT MORE"**

**(Adapted from One Minute Management &
Leadership by Blanchard et.al.)**

**भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

**इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों के लिए
निरीक्षण कार्यक्रम नियमावली**

**INDIAN RAILWAYS MANUAL OF INSPECTION
SCHEDULES FOR OFFICIALS OF ENGINEERING DEPARTMENT**

**अनिवार्य एवं अनुशंसात्मक
जनवरी 2000**

**MANDATORY & RECOMENDATORY
JANUARY 2000**

**मुख्य इंजीनियर, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा मुद्रित
Chief Engineer, S.E. Railway**

इंजीनियरी विभाग में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत से **परिष्कारित** के सृजन एवं अनुरक्षण के वस्तुतः सभी क्षेत्रों में, चाहे यह **रेलवे**, पुन अथवा संरचनाएं हों जिनमें उच्चतर गति एवं उच्चतर धुरा **भारों** के माय गाड़ियों का चलाया जाना भी शामिल है, इंजीनियरी विभाग की विभिन्न परिसंपत्तियों के सुव्यवस्थित सृजन एवं अनुरक्षण के लिए अनेक नियमावलियों में तदनुरूपी वृद्धि हुई है। ये नियमावलियां विभिन्न निरीक्षण कार्यक्रमों और उनसे जुड़े निर्देशों की जांच-सूची का निर्धारण करती हैं। साथ ही, वांछनीय निरीक्षण कार्यक्रमों और उनकी कार्यविधि का व्यापक क्षेत्र क्षेत्रीय रेलों के मुख्य इंजीनियरों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यह स्वभाविक है कि परिसंपत्तियों और ट्रेडों की विविधता में चौमुखी वृद्धि से किसी पद विशेष पर तैनात एक व्यक्ति के लिए निरीक्षणों की संख्या और उनकी किस्म के संबंध में जो विभिन्न नियमावलियां एवं परिपत्रों में निर्धारित हैं और जिन्हें किया जाना अपेक्षित है, अपने उत्तरदायित्व का शीघ्र मूल्यांकन कर पाना कठिन है।

निरीक्षण कार्यक्रम नियमावली भारतीय रेल के इंजीनियरी विभाग के लिए लंबे असें से महसूस की जा रही इस आवश्यकता को पूरा करती है। आशा है कि यह नियमावली निष्पादन एवं अनुरक्षण के बेहतर मानदंड हासिल करने, संरक्षा, किफायत एवं कुशलता सुनिश्चित करने में इंजीनियरी अधिकारियों की सहायता करेगी।

वी. के. अग्निहोत्री
सदस्य इंजीनियरी
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली
जनवरी, 2000

With the introduction of modern technology in the engineering department virtually in all the fields of creation and maintenance of assets, whether it is permanent way, bridges or structures, combined with introduction of trains with higher speeds and higher axle loads, there has been corresponding growth of several manuals for systematic creation and maintenance of the various assets of engineering department. These manuals lay down a check-list of various inspection schedules and directives related to them. Also, a very large area of desirable Inspection Schedules and their methodology had been left to the discretion of the Chief Engineers of Zonal Railways. It is natural that with the multifold increase in the variety of assets and trades involved, it is a difficult for an individual, in a particular post, to quickly assess one's responsibilities in regard to the number and kind of inspection which are laid down in various manuals and circulars and are required to be carried out.

The manual of Inspection Schedules fulfils this long felt need for the Engineering Department of Indian Railways, it is hoped that this manual will help engineering officials to achieve better standards of execution and maintenance, ensuring safety, economy and efficiency.

V.K. AGNIHOTRI
MEMBER ENGINEERING
RAILWAY BOARD

New Delhi
January, 2000

आमुख

इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम नियमावली काफी समय से आवश्यकता महसूस किए जाने के बावजूद पहली बार प्रकाशित की जा रही है। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी के कारण इंजीनियरी परिसंपत्तियों के सृजन एवं अनुरक्षण हेतु अनेक नए ट्रेडों तथा विधियों की अनिवार्यता आवश्यकता थी। परंपरागत रूप से इंजीनियरों को उनके कार्यनिष्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करने की उत्कृष्ट प्रणाली विरासत में प्राप्त हुई है जिससे नरक्षता, किफायत एवं कुशलता सुनिश्चित हुई है। काफी समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इंजीनियरी संवर्ग की व्यापकता एवं विस्तार के कारण हम परिसंपत्तियों के निष्पादन एवं अनुरक्षण की गुणवत्ता के मोर्चे पर कमजोर रहे हैं और इसके मुख्य कारणों में से एक विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षणों की प्रभावहीनता है।

इस नियमावली में इंजीनियरी अधिकारियों के सभी ओहदों की अनुसूचियां अंतर्भूत हैं। जहां कहीं सुझाए गए कार्यक्रम अनिवार्य हैं, वे पहले से ही प्रचलित संबंधित नियमावलियों से लिए गए हैं। शेष निरीक्षण अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं और उनकी आवृत्तियां वांछनीय न्यूनतम स्तर पर निर्धारित की गई हैं। क्षेत्रीय रेलों के मुख्य इंजीनियरों को स्थानीय और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप इन अनिवार्य एवं अनुशंसात्मक कार्यक्रमों में परिवर्धन तथा अनुपूरण करना होगा। सभी क्षेत्रीय रेलों के मामलों में पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम मौजूद हैं और इस निरीक्षण कार्यक्रम नियमावली के आलोक में कुछ में मामूली आशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इससे न केवल भारतीय रेल के इन कार्यक्रमों का मानकीकरण होगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को पारस्परिक लाभ भी होगा क्योंकि ये मूलतः किसी न किसी क्षेत्रीय रेलवे की वर्तमान कार्यक्रम सूची में से ली गई हैं।

PREFACE

The Manual of Inspection Schedules for the Officials of Engineering Department is being brought out first time despite its need being felt for quite some time. The variety of technology for the modernisation of India Railways necessarily required induction of several new trades and methodologies for the creation and maintenance of engineering assets. Traditionally, engineers inherited an excellent system of carrying out inspections in various walks of their functioning which ensured safety, economy and efficiency. From quite some time, it was felt that because of proliferation and enlargement of the engineering cadre, we have lost on the fronts of quality of execution & maintenance of assets and one of the main causes for this is ineffectiveness of the inspections carried out at different levels.

The Manual contains schedules for all the ranks of engineering officials. Suggested schedules are mandatory wherever these have been picked up from the concerned Manuals already in vogue. Remaining inspections are of recommendatory nature and their frequencies are prescribed to be at the desirable minimum level. Chief Engineers of Zonal Railways will have to augment and supplement these mandatory and recommendatory schedules to suit the local and contemporary requirements. In case of all the Zonal Railways, there are already schedules laid down and the same may need minor modifications in the light of this Manual of Inspection Schedules. This would not only standardise these schedules for Indian Railways, but also mutually benefit different Zonal Railways because these have been picked up primarily from the existing schedules of one or the other Zonal Railways only.

रेलवे बोर्ड इस नियमावली को अद्यतन रखने की दृष्टि से रेलवे प्रशासनों की टिप्पणी और सुझावों का स्वागत करेगा और ये यथासमय अगला संस्करण जारी करने में सहायता करेंगे.

ए. के. योग
विशेष कार्याधिकारी (इंजीनियरी)
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली
जनवरी, 2000

Railway Board will welcome any comments and suggestions from the Railway Administrations with a view to keep the Manual update and, in due course of time, these will facilitate the issue of next edition.

A. K. YOG
OSD (ENGINEERING)
RAILWAY BOARD

New Delhi
January, 2000

इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम नियमावली

विषयवस्तु

क.	प्रस्तावना लेख	6
ख.	विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख विभागाध्यक्षों के निरीक्षण का फीडबैक	11
ग.	वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय)	12
घ.	सेक्शन वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर	14
ङ.	उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी या कार्यपालक इंजीनियर/टीएमसी (प्रभारी)	16
च.	उप मुख्य इंजीनियर (पुल)	16
छ.	वरिष्ठ सहायक इंजीनियर/सहायक इंजीनियर	17
ज.	पुल कार्यों के लिए नामांकित मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर (पुल)/कार्यपालक इंजीनियर (पुल)/ सहायक पुल इंजीनियर/पुल कार्यों के लिए सहायक इंजीनियर (पुल)	22
झ.	वरिष्ठ सहायक इंजीनियर/टीएमसी (लाइन) या सहायक इंजीनियर/टीएमसी (लाइन)	23
ञ.	प्रभारी सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ)	24
ट.	कनिष्ठ इंजीनियर (रेलपथ)	27
ठ.	सेक्शन इंजीनियर/प्रभारी (निर्माण)	30
ड.	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/कनिष्ठ इंजीनियर (पुल)	32
ढ.	सीएफओ/टीएमसी (लाइन)	32

MANUAL OF INSPECTION SCHEDULES FOR OFFICIALS OF ENGINEERING DEPARTMENT

CONTENTS

PAGE NO.

A.	Introductory Remark	6
B.	Feedback Of HODs & PHODs Inspections	11
C.	Sr. DEN (Coordination)	12
D.	Sectional Sr. DEN/DEN	14
E.	Dy. CE/TMC Or XEN/TMC (Incharge)	16
F.	Dy. Chief Engineer (Bridges)	16
G.	Sr. AEN/AEN	17
H.	Nominated DEN for Bridge Work/DEN(Bridge)/ XEN (Bridge)/ABE/AEN(Bridge)for Bridge Works	22
I.	Sr. AEN/TMC(Line) Or AEN/TMC(Line)	23
J.	Section Engineer in-Charge (P.Way)	24
K.	Junior Engineer (P. Way)	27
L.	Section Engineer/In-Charge (Works)	30
M.	Senior Section Engineer/Section Engineer/ Jr. Engineer (Bridge)	32
N.	CFO/TMC (Line)	32

“अधिक निरीक्षण अधिक उत्पादकता की कुंजी है.”
 “ब्लैकॉर्ड ईटी, एएल द्वारा वन मिनट मैनेजमेंट एंड
 लीडरशिप से उद्धरण”

क. प्रस्तावना लेख

1.0 सामान्य

1.1 विभिन्न स्तरों यथा वरिष्ठ प्रबंधक - मध्य प्रबंधक और पर्यवेक्षी स्तर पर निरीक्षण किए जाते हैं. हर किसी को वर्तमान आदेशों और प्रणाली की कारगरता सुनिश्चित करने के लिए निचले स्तर पर जाना पड़ता है. निरीक्षणों को कारगर एवं फलदायक बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दिशानिर्देश उल्लिखित हैं:

- क) कोटा, गुणवत्ता एवं अनुपालन के संबंध में अपने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के पिछले निरीक्षणों की समीक्षा
- ख) यह अवलोकन करना कि कार्यप्रणाली निर्धारित नीति एवं नियमों के अनुसार है. अगर कोई संशोधन अपेक्षित है तो आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाए. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नवीनतम शुद्धिपत्रिकाएँ सहित कोड मैनुअल, दिशानिर्देशों तथा रजिस्ट्रों की उपलब्धता अनिवार्य है.
- ग) भंडार एवं वित्तीय मामले सुव्यवस्थित हैं और अपेक्षित पुस्तिकाएं, रिकार्ड, पिछली ओवरहालिंग की रिपोर्ट, लेखे और लेखापरीक्षा निरीक्षण यह लक्ष्य हासिल करने में सहायता करते हैं.
- घ) संरक्षा सहित कुशलता को बेहतर बनाने के लिए जलवायु, भू-भाग, संस्कृति, कानून एवं व्यवस्था आदि की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय आदेश अनिवार्यतः उपलब्ध होने चाहिए - अगर ऐसा नहीं है तो उपयुक्त स्तरों पर इनकी व्यवस्था की जाए
- ङ) कार्यालय निरीक्षण के दौरान रिकॉर्डों का रखरखाव और विभिन्न प्रकार के पत्राचार की समझाई, लंबित पत्र, यदि कोई हो, अनुपालन न किए जाने के कारण और उपयुक्त उपायों के माध्यम से इसका निवारण.
- च) कर्मचारी शिकायतों का निवारण सर्वाधिक समर्पण के साथ किया जाए. किसी भी संगठन में मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है.

“YOU CAN EXPECT MORE IF YOU INSPECT MORE”
 (adapted from One Minute Management &
 Leadership by Blanchard et. al.)

A. INTRODUCTION REMARKS

1.0 General :

1.1 Inspections are conducted at different levels viz. Senior Managers -middle managers and supervisory levels. One has to go down the line to ensure effectiveness of extant orders and system. Following guidelines in general are mentioned for making inspections effective and fruitful :-

- a) Review of last inspections of self & those below in respect of quota, quality & compliance.
- b) Observe whether the systems of working are as per laid down policy and rules. If any amendments are required, necessary action is to be initiated. Availability and updated Codes, manuals, guidelines, registers with latest correction slips is essential for this objective to be achieved.
- c) Store and Financial matter are in order and necessary books, records, last over-hauling reports, accounts and audit inspections help in achieving this end.
- d) Local order to suit local conditions of weather, terrain, culture, law and order etc. for improving efficiency with safety must be there - if not these should be organised at appropriate levels.
- e) During office inspections, Maintenance of records and handling of various types of correspondence, pending letters etc. if any, reasons for non-compliance and remedy the same through appropriate steps.
- f) Staff redressal of complaints should be done with utmost dedication. Human resource is the most valuable one in any organisation.

2.0 फीडबैक:

- क) सेक्शन इंजीनियर, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर एवं सहायक इंजीनियर द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों की इंजीनियरी विभाग के मंडल (वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय) और मुख्यालय अधिकारियों (संबंधित प्रादेशिक विभागाध्यक्ष) द्वारा पुनरीक्षा की जाए. पर्यवेक्षी से प्रबंध स्तर तक प्रवृत्ति और प्रयोजन में अंतर रहेगा.
- ख) सेक्शन इंजीनियर, सहायक इंजीनियर/वरिष्ठ सहायक इंजीनियर/मंडल इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल इंजीनियर सभी स्तरों पर अनुपालन पर सर्वाधिक जोर दिया जाए. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) और इससे ऊपर के स्तर पर कार्यालय और फील्ड में उनके सरकारी तंत्र पर एवं व्यक्तिगत जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सहायक इंजीनियर/वरिष्ठ सहायक इंजीनियर के कनिष्ठ इंजीनियरों ने निरीक्षण कोटा पूरा कर लिया है (जब कभी आवश्यक अथवा संभव हो). बहरहाल, विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त एवं संरक्षित-संचालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट निरीक्षणों के कोटे की 100% पुनरीक्षा अनिवार्य है. यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सहायता करता है जो गुणवत्ता और संरक्षित आउटपुट के लिए अनिवार्य अपेक्षा है.
- ग) मंडल और मुख्यालय स्तर पर फीडबैक क्रमशः मुख्य इंजीनियर और सदस्य इंजीनियरी की, जैसा भी मामला हो, पीसीडीओ में एक मद के रूप में अनिवार्यतः संलग्न किए जाएं.
- 3.0 निरीक्षण टिप्पणियों को दर्ज करना एवं उन्हें भेजना:
- क) निरीक्षण टिप्पणियों को तीन प्रकार से दर्ज किया जा सकता है.
- क) स्थल पुस्तिका प्रलेख में टिप्पणियों को दर्ज करना: स्थल पर एक पुस्तिका में टिप्पणियां दर्ज करने की व्यवस्था है जिसकी विषयसामग्री अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानीय भाषा में समझाई जाती है. महत्वपूर्ण मामलों में इस आशय की अभिलेखीकृति तक स्थल पुस्तिका में ही दर्ज की जाती है. इस कोटि के उदाहरण हैं: समपारों पर समपार

2.0 Feed back

- a) All inspections carried out by Section Engr., Sr. Sectional Engr. & AEN to be reviewed by Divisional (Sr.DEN/Coord) and HQ officials of Engineering Branch (Territorial HOD concerned). The attitude and purpose will vary from supervisory to managerial.
- b) At Sectional Engineer, AEN/Sr. AEN/DEN/Sr. DEN level, compliance has to be of utmost emphasis. At Sr. DEN (Coord.) level and above, getting assured that Junior Engineers to AEN/ Sr.AEN are carrying out full quota of inspection, is necessary through their official machinery and personal check in office and field (as and when required or possible). However, 100% review of quota of specified inspections is a must to ensure proper and safe working at different levels. It helps in pinning down the individual responsibility - an essential requirement for quality and safe output.
- c) At divisional and Headquarter level respectively, feedback must be enclosed as one of the items in the PCDO to CE and ME, as the case may be.

3.0 Recording and transmission of Inspection Notes :

Inspection notes can be recorded in three ways:

- a) **Recording of observations in the site book/document:** There is system of recording observations in the book at the site, contents of which are explained to the officials/staff in local language. In case of important matters, even the acknowledgement to this effect is also recorded in the site book itself. Examples in this category are : level crossing books and complaint books maintained at level crossings in the possession of gatekeeper himself, Similar is the example of site book at the construction site, keyman's patrol book, gang diary, bridge

पुस्तिकाएं तथा शिकायत पुस्तिकाएं स्वयं चौकीदार के पास होती हैं। निर्माण स्थल पर स्थल पुस्तिका, कीमैन गश्त पुस्तिका, गैंग डायरी, पुल निरीक्षण रजिस्टर, समपार रजिस्टर, इत्याद संरचना के रजिस्टर आदि सदृश उदाहरण हैं। इस शैली में यह निगरानी रखना अनिवार्य है कि पुस्तिका अथवा इसके पृष्ठ गुम न हो जाएं और इसका अभिरक्षक सुपरिभाषित हो तथा अगर पुस्तिका को भेजना आवश्यक है तो यह उपयुक्त लिखित सुपुर्दगी और पावती मीमो के माध्यम से किया जाए। इस प्रकार से निरीक्षणों को दर्ज करना अत्यधिक विवेकपूर्ण है क्योंकि यह केवल इनका अनुपालन करने वाले अधिकारियों अपितु इनको दर्ज करने वाले निरीक्षण अधिकारियों के लिए भी बाध्यकारी होगा। इन निरीक्षणों के माध्यम से इंजीनियरी विभाग में संरक्षा के अधिकांश पहलू शामिल हो जाते हैं और इसलिए इनको, विशेषकर प्रलेख के सही रखरखाव एवं संचलन तथा इसकी सुरक्षित अभिरक्षा को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर कोई ढिलाई रहती है तो दुर्घटना आदि जैसे आपदायी स्थिति में यह प्रलेख सबसे पहले गायब होता है।

ख) **निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण स्थल पर ही मीमो सौंपकर:** उच्चतर पर्यवेक्षी और निम्न प्रबंध स्तरों पर इसका लाभप्रद उपयोग होता है। इस प्रणाली में मुख्यालय पहुंचने के बाद निरीक्षण टिप्पणी बनाने और फिर इसे वापस स्थल अधिकारियों को भेजने में लगने वाले समय एवं ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रयोजन के लिए ऐसी डुप्लीकेट पुस्तिका सुविधाजनक साबित होती है जिसमें कार्बन प्रति तत्काल बन जाती है। इससे विगत में स्वयं द्वारा किए गए निरीक्षणों की पुनरीक्षा करने में भी सहायता मिलती है।

ग) **मुख्यालय पहुंचने के बाद निरीक्षण टिप्पणी जारी करना:** यह शैली कनिष्ठ और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के लिए उपयुक्त है। अक्सर यह पाया गया है कि मंडल अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय के अधिकारी निरीक्षण तो करते हैं लेकिन नक्शों, अनुमानों के अनुमोदन, सामग्री के आबंटन आदि के रूप में स्वयं उनके कार्यालयों में अनेक खामियां प्रकट

inspection registers, level crossing register, register of steel structures etc. In this style, it is very essential to keep a vigil that the book or its pages are not lost and its custodian is well defined as well as the transmission of book, if at all required, is done through proper delivery and receipt memo in black and white.

There is lot of wisdom in this style of recording inspections as these are not only binding on the officials who would comply with them but also on the inspecting officials who are recording them. A large number of safety aspects in engineering department are covered through these inspections and therefore, these should be taken very seriously, especially the proper maintenance and movement of the document and its safe custody. If there is any slackness, then this document is the first one of disappear in a crisis situation such as an accident etc.

b) **By handing over a memo by inspecting officials at site of inspection itself :** This is usefully employed by higher supervisory and low managerial levels. This system saves time and energy which is spent in making out an inspection note after reaching the headquarters and then sending it back to the site officials. A duplicate book which produces a carbon copy immediately proves to be handy for this purpose. It helps in reviewing one's own inspections done in the past.

c) **Issue of Inspection Notes after reaching headquarter Office:** This style is suitable for junior and Senior Administrative Grade officers. Frequently, it is observed that while divisional or zonal headquarter officials conduct the inspection, lot of deficiencies of their own offices come to notice in the form of delay in approval of

होती हैं जिसके लिए निरपवाद रूप से स्थल अधिकारियों की बजाय निरीक्षण अधिकारी और उससे ऊपर के कार्यालय में कार्रवाई अपेक्षित होगी. अतः इस प्रकार टिप्पणी अत्यधिक उपयोगी है विशेषकर जब मुख्यालय के अधिकारियों को भेजी जाती हैं जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल से लाए गए मामले के निपटान हेतु उत्तरदायी है, जो उपयुक्त समय पर इसके निपटान पर निगरानी रख सकते हैं.

4.0 स्थल निरीक्षण के लाभ:

यह सुविधित है कि सभी स्थलों पर निरीक्षण बहुप्रयोजनीय हैं और मोटे तौर पर निम्नलिखित मदों को इनमें शामिल किया जा सकता है:

- खराबी का पता लगाना/और उन्हें दूर करना
 - स्थल परिस्थितियों का अहसास
 - निर्णय लेना
 - प्रणालियों की कुशलता के बारे में फीडबैक-संहिताओं/नियमावलियों की उपलब्धता.
 - शिकायत निवारण
 - मानव संसाधन विकास-मौके पर प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन
 - समूह बनाना
 - रेल परिसंपत्तियों का संरक्षण (निगरानी रखने सहायता करता है)
- यह उल्लेखनीय है कि किसी निरीक्षण की उपयोगिता मूलतः वरिष्ठ स्तरों पर तब कई गुना बढ़ जाती है जब मुख्यालय से प्रस्थान करने से पहले थोड़ी तैयारी कर ली जाए और स्थल अधिकारियों को कथित निरीक्षणों के लिए युक्तिसंगत नोटिस मिले.

plans, estimate, allotment of materials etc., which would invariably require action in the office of inspecting official and the above his own, rather than by the site officials. Hence, such a note is very useful, especially if it is marked to the officers of headquarters, who are responsible to dispose of the case brought from site by the inspecting official, who can chase the matter for appropriate timely disposal.

4.0 Benefits of Site Inspections:

It is very well recognised that inspections at all levels are multi-purpose and broadly following items can be covered during these:

- Fault detection/and correction
- Feel of the site conditions
- Decision making
- Feed back regarding systems efficiency-availability of Codes/Manuals.
- Grievance redressal
- Human Resource development - on spot training and quality assurance.
- Builds and team
- Protection of railway assets (helps watching).

It may be mentioned that the utility of an inspection, basically at senior levels, can get increased multifold, if a little preparation is done before leaving the headquarters and the site officers have a reasonable notice for the said inspections.

5.0 निरीक्षण के लिए विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र:

- i) संहिताओं, नियमावलियों और वर्तमान नीति-निर्देशों की उपलब्धता: संहिताओं/नियमावलियों की उपलब्धता की प्रत्यक्ष जांच करके यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करना और यह आश्वस्त होना कि संबंधित कर्मचारी अपने कार्यनिष्पादन का अपेक्षित अद्यतन ज्ञान रखता है। इसमें कोई बल देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया में उन मदों पर जो संरक्षा एवं सुरक्षा (विशेषकर खराब हो रही कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में) से जुड़े हों उन पर यथासंभव अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- ii) फील्ड निरीक्षण करते समय निरीक्षण अधिकारी के मताहतों के निरीक्षणों की पुनरीक्षा पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है ताकि उसके निरीक्षणों की कारगरता सुनिश्चित हो सके।
- iii) कार्यालय निरीक्षण-अभिलेखन आदि: किसी कार्यालय का कुशल निष्पादन (किसी भी स्तर पर) अधिकारी-तंत्र का आधार है। विभिन्न रिकॉर्डों के रखरखाव और डाक, फाइलों की सहेलाई आदि का अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाए और विशेषकर मताहत अधिकारियों के मामले में सुनिश्चित किया जाए।
- iv) निरीक्षण लक्ष्योन्मुखी एवं नियोजित होना चाहिए: निरीक्षणों को खराबी निवारण की बजाय खराबी खोजने के साधन के रूप में देखा जाता है। इसके लिए शीर्ष प्रबंधन को प्रशिक्षण और परिवर्तन के माध्यम से प्रवृत्ति परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देना होगा। प्रत्येक कुशल प्रबंधक निम्नलिखित कथन में विश्वास करता है:-
“अधिक निरीक्षण अधिक उत्पादकता की कुंजी है।”
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह केवल तभी सत्य साबित होगा जब निरीक्षण दक्ष और कार्यकुशल तरीके से किए जाते हैं। अन्यथा निरीक्षण भी उन बैठकों की तरह जो व्यावसायिक एवं योजनाबद्ध तरीकों से नहीं की जाती, निरीक्षण में भाग लेने वालों के लिए समय की बर्बादी और कार्यकुशलता के वर्तमान स्तर के लिए जोखिम तक साबित हो सकते हैं।

5.0 Special Emphasis Areas of Inspection

- i) **Availability to Codes, Manuals and existing policy directives:** This must be ensured through physically checking the availability of codes/Manuals and the assurance that the concerned staff is up-date with the knowledge required for his functioning. Needless to emphasise that this exercise should lay as much stress as possible on items related with safety and security (especially in dwindling law and order scenario).
- ii) **Review of inspections** of those working under the inspecting officers while conducting field inspections requires more emphasis to ascertain effectiveness of him inspections.
- iii) **Office Inspection - Record Keeping etc. :** Efficient functioning of an office (at any level) forms the back bone of bureaucracy. Proper maintenance of various records and handling of dak, files must be inspected and ensured, especially in case of subordinate officers.
- iv) **Inspection to be objective oriented and planned :** Inspections are being viewed as fault finding rather than as fault remedying instruments. This would require an attitudinal change through training and change in the emphasis of the management. Any efficient management believes in the following saying:

“ You can expect more if you inspect more”.

Needless to say that, this would be true only when the inspections are carried out in an expert and efficient manner. Otherwise, like meetings not planned and conducted in business like manner, inspections could be time-wasters for all those involved and even injurious to the present day level of efficiency.

ख. विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख विभागाध्यक्षों के निरीक्षणों का फीडबैक :

मुख्यालय के अधिकारियों तथा उनसे उच्चतर अधिकारियों द्वारा प्रबंधकीय निरीक्षण रेलों के कार्यकुशल कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से एक है। हालांकि यह अधिकारी पर छोड़ दिया जाता है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करके चिह्नित करे जहां स्वयं उसने निरीक्षण पर बल देना है, एक सामान्यीकृत फीडबैक भी आवश्यक है। यह सदस्य इंजीनियरों के लिए पीसीडीओ के एक अनुबंध के माध्यम से किया जा रहा है। प्रोफार्मा में मामूली संशोधन किया गया है और भविष्य में फीडबैक निम्न फॉर्मेट में दिया जाएगा :

..... रेलवे

प्रमुख विभागाध्यक्षों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों का निरीक्षण

माह :

वर्ष :

अधिकारी	ख.	संरक्षा निरीक्षणों की संख्या			संस्थापना निरीक्षणों की संख्या						सकल योग
नाम/पदनाम	लाइन ट्रॉली	लाइन गाड़ी	पुल	समपार	कुल	गार्ड	स्टेशन	कार्यालय	कर्मशाला	कलोनी	कुल
सीई											
सीटीई											
सीबीई											
सीजीई											
सीपीडीई											
सीई (टिरी)											
सीई (टिरी)											
टिप्पणी, यदि कोई हो											

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

B. FEED BACK OF HODs AND PHOs INSPECTION:

The managerial inspections by the officers of headquarters and above are one of the most important responsibilities for ensuring efficient functioning of Railways. While it is left to the officer to identify and pinpoint the areas where inspection emphasis should be laid down for himself, a generalised feed-back is also necessary. This is being done through an annexure of the PCDO to the Member Engineering. The proforma has been slightly modified and in future, the feed back shall be given in the following format:

.....RAILWAY

'PHOD & SAG OFFICERS' INSPECTION'

MONTH :

YEAR:

Officer	B	No. of Safety inspections					No. of Installation inspection					Grand Total
NAME/DESIGNATION	LINE TROL	LINE TRAIN	BRI-DGE	L-XING	Total	YARD	STATION	OFFICE	WORKSHOP	COLD-DRY	Total	
CE												
CTE												
CBE												
CGE												
CPDE												
CEM												
CE(TERRI-)												
CE(TERRI-)												
Remarks, if any												

SING. OF SUBMITTING OFFICER

1. लाइन ट्रॉली निरीक्षण - पुश ट्रॉली, मोटर ट्रॉली
2. लाइन गाड़ी - फुट प्लेट, अंतिम वाहन
3. संस्थापनाएं - स्टेशन, कार्यालय, कर्मशालाएं, डिपो
4. मुख्य इंजीनियर और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अन्य अधिकारियों को उनके संबंधित उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए यथापेक्षित अधिकतम समय समर्पित करना चाहिए. ये यथासंभव सीमा तक दुर्घटनाओं, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ, महाप्रबंधकों के निरीक्षण आदि के अलावा होने चाहिए. निरीक्षण की कारगरता इन व्यावसायिक निरीक्षणों के लिए मूल-मंत्र होना चाहिए जिसके लिए प्रणालियां सुस्थापित करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.
5. न्यूनतम दो निरीक्षण प्रत्येक माह अनिवार्यतः करे जाने चाहिए.

ग. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय का निरीक्षण कार्यक्रम

अधिकांश रेलों में वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय को वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मुख्यालय के रूप में पदनामित किया गया है. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय का मुख्य उत्तरदायित्व जनशक्ति प्रबंधन, नियोजन, बजट और व्यय नियंत्रण आदि का प्रभारी होता है. इसके अलावा, उससे समग्र इंजीनियरी विभाग के कार्यनिष्पादन के लिए मंडल और मुख्यालय स्तर पर समन्वय करना अपेक्षित है. अन्य वरिष्ठ मंडल इंजीनियरों/वरिष्ठ मंडल इंजीनियरों को सेक्शन आबंटित किए गए हैं और वे रेलपथ एवं निर्माण कार्यों के सही अनुरक्षण के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हैं. इससे नियोजन तथा बजट संबंधी कार्यों का नुकसान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, कुछ मंडलों में जहां वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय की अपनी अधिकारिता होती है, वह उसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा. अपने कार्यक्षेत्र के लिए उसका निरीक्षण कोटा, मंडल के सेक्शनल वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल इंजीनियर के समान होगा.

NOTES :

1. Line Trolley Inspections — Push Trolley, Motor Trolley,
2. Line Train — Foot Plate, Rear Vehicle.
3. Installations — Stations, Officers, Workshops, depots
4. CE and other SAG Officers should devote as much time as required for the efficient discharge of their respective responsibilities. These should be, as far as possible, in addition to accident, accompaniment of VIP, GM's inspections, etc. Effectiveness of inspection should be the keynote for these professional inspections, for which enough time should be devoted to establish systems.
5. Minimum of two inspections per month must be done.

C. INSPECTION SCHEDULE OF SR. DEN/COORDINATION

On most of the Railway, Sr. DEN/Coordination is designated as Sr. DEN/HQ. The major responsibility of Sr. DEN/Coordination is in charge of man power management, planning, budgets and expenditure control etc. Apart from this, he is required to coordinate both at Divisional as well as headquarter level for functioning of Engineering Department as a whole. Other Sr. DENs/DENs have been allotted sections and are fully responsible for proper maintenance of way and works. Planning and budget function etc. Should not suffer. Besides where on some Divisions, Sr. DEN/Co-ordination has his own jurisdiction, he will be fully responsible for the same. For his territory, his quota of inspections would be the same as for sectional Sr. DEN/DEN of the Division.

निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जाए :

1. अगर मंडल अधीक्षक इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/समन्वय के पास प्रादेशिक अधिकारिता है तो वह सेशनल वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल इंजीनियर के लिए उसके प्रभाराधीन कार्यक्षेत्र के लिए न्यूनतम अनुसूची का अनुपालन करेगा.
2. रिपोर्ट किए गए डाटा/सूचना के सत्यापन के लिए विभिन्न प्रकार के विशेषकर संरक्षा संबंधी यथासंभव अधिक निरीक्षण किए जाने चाहिए.
3. रेलपथ निरीक्षक, निर्माण निरीक्षक, सहायक इंजीनियर, वरिष्ठ सहायक इंजीनियर, और मंडल इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल इंजीनियर के निरीक्षणों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए.
4. आवश्यकता आधारित निरीक्षण जिसके लिए उसके पास दिन-प्रतिदिन कार्यनिष्पादन तथा नियंत्रण/इंजीनियरी नियंत्रण से फीडबैक के माध्यम से सूक्ष्म-प्रतिष्ठा होनी चाहिए.
5. दुर्घटना राहत गाड़ियां और अन्य आपातकालीन प्रबंधन उपाय सुब्यवस्थित तथा तैयार हैं.

The following guidelines should be followed :-

1. Minimum schedule for Sectional Sr. DENs & DENs must be observed for territory under his charge, in case DSE/Sr. DEN/Coord. has a territorial jurisdiction.
2. As many as possible, inspections of different kinds especially related to safety should be conducted for verification of reported data/information.
3. Review of inspections of PWI, IOW, AENs, Sr. AENs and DEN/Sr. DENs should be done every month.
4. Need based inspections for which he has to have sensitivity through day to day working and feed back from control/engineering control.
5. Accident Relief Trains and other emergency management measures are in order and readiness.

घ. सेक्शनल वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर का निरीक्षण कार्यक्रम			
क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.0	रेलपथ		
1.1	स्टेशनो और छोटी-मोटी मरम्मतों सहित पुश ट्रॉली/मोटर ट्रॉली	तीन माह में एक बार (पुश ट्रॉली सहित)	
1.2	फुटप्लेट/ब्रेक वैन	तीन माह में एक बार	
1.2.1	रात्रि में फुटप्लेट	माह में एक बार	
1.3	निजी साइडिंग	जब कभी संदर्भ दिया जाए	
1.4	टीआरसी/ओएमएस चालन	प्रत्येक टीआरसी चालन और एकांतर से ओएमएस चालन के साथ	
1.5	कांटे एवं पारण	पुश/मोटर ट्रॉली निरीक्षण के दौरान यथासंभव अधिकतम, एक पैसेंजर चालन लाइन पर कम से कम एक महत्वपूर्ण कांटे एवं पारण	
1.6	वक्र	प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक सहायक इंजीनियर सेक्शन में कम से कम एक वक्र	
1.7	समपार	प्रत्येक तीन माह में प्रति रेलपथ निरीक्षक कम से कम एक बार	
1.8	एलडब्ल्यूआर एवं एसईजे	नेमी मोटर ट्रॉली/पुश ट्रॉली या फुट निरीक्षणों के दौरान	भा.रेलपथ नियमावली एलडब्ल्यूआर नियमावली 13.1.9(एक्स)
2.0	पुल और सुरंगें		
2.1	महत्त्वपूर्ण पुल	एक वर्ष में कम से कम एक बार	पैरा-1104, भारतीय रेल पुल नियमावली
2.2	सहायक इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के बाद संदर्भित पुल और रजिस्टर की संवीक्षा के बाद उसके निरीक्षण के लिए पुल का हवाला	संदर्भ किए जाने पर	पैरा-1104, भारतीय रेल पुल नियमावली
2.3	ओरआरएन 1, 2 या 3 वाले पुल	उन सभी पुलों के लिए जिनका ओरआरएन 1, 2 या 3 है, एक वर्ष में कम से कम एक बार	पैरा-1104, भारतीय रेल पुल नियमावली

D. INSPECTION SCHEDULE OF SECTIONAL SR. DEN/DEN

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	P. Way		
1.1	Push Trolley/Motor trolley including stations and petty repair books	Once in three months (including push trolley)	
1.2	Footplate/Brake-Van	Once in three months	
1.2.1	Night Foot plate	Once a month	
1.3	Private Sidings	When referred	
1.4	TRC/OMS runs	Accompanying each TRC run and alternate OMS run	
1.5	Points & crossings	As often as possible during push/motor trolley inspection at least one important points and crossings on a passenger running line	
1.6	Curves	Minimum of one curve in each AEN's section every three months	
1.7	Level Crossings	Minimum of one per PWI every three months.	
1.8	LWRs & SEJs	During routine Motor trolley/ push trolley or foot nspections	IRPWM LWR Manual 13.1.9 (x)
2.0	Bridges and Tunnels		
2.1	Important Bridges	Minimum once a year	Para-1104, IRBM
2.2	Bridges referred by AEN after his inspection and bridges call for his inspection after scrutiny of Register	On reference	Para-1104, IRBM
2.3	Bridges with ORN 1,2 or 3	Minimum of once a year all those bridges for which the ORN is 1,2 or 3.	para-1104, IRBM

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
2.4	जीर्ण-शीर्ण पुल i) कोटि I ii) कोटि II	i) तीन माह में एक बार ii) एक वर्ष में एक बार	पैरा-507, भारतीय रेल पुल नियमावली
2.5	सुरंगें	संरक्षा इंटिकोण से यथापेक्षित और सहायक इंजीनियर द्वारा संदर्भ किए जाने पर	पैरा-1005, भारतीय रेल पुल नियमावली
3.0	गैंग		
3.1	कार्य की गुणवत्ता	प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तीन माह में प्रति रेलपथ निरीक्षक कम से कम एक गैंग	
3.2	गैंगों, समपारों इत्यादि पर उपस्कर एवं संरक्षा नियम	संरक्षा जागरूकता का मूल्यांकन करने के लिए छह माह में कम से कम एक बार	
4.0	गश्त		
4.1	मानसून गश्त	संरक्षा की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए दो माह में कम से कम एक निरीक्षण	
4.2	अन्य गश्तें	यथापेक्षित	
5.0	रात्रिकालीन निरीक्षण	तीन माह में कम से कम एक बार मानसून के दौरान अधिक गहन.	
6.0	राख गत	जब कभी संदर्भ किया जाए/ट्रॉली निरीक्षण के दौरान	
7.0	जल आपूर्ति एवं अन्य संस्थापनाएं	सभी महत्वपूर्ण संस्थापनाओं अर्थात् जल आपूर्ति, स्वच्छता, कर्मशालाएं, शेड, स्टेशन, कलोनियाँ, संरचनाएं इत्यादि के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार	मुख्य इंजीनियर और डीएसई/ समन्वय महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सूची विनिर्दिष्ट करेंगे.
8.0	भूमि परिसीमा का सत्यापन	ट्रॉली निरीक्षणों के दौरान विशेषकर भेद्य स्थलों पर	
9.1	सीएसएम, बीसीएम, एफआरएम, पीएडसी टैपर, डीटीएस टी.28, पीक्यूआरएस	सेक्शन में कार्य करते समय एक माह में एक बार	
9.2	यूटी, यूएनओ, डीयूओ, बीआरएम और स्लीपर चेंजर	उनके सेक्शन में कार्य करने की अवधि के दौरान कम से कम एक बार	
9.4	सहायक इंजीनियर/वरिष्ठ सहायक इंजीनियर/रेलपथ निरीक्षक/निर्माण निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा	एक माह में एक बार 100%	

2.4	Distressed Bridges i) Category I ii) Category II	i) Once in three months ii) Once in a year	Para 507 IRBM
2.5	Tunnels	As necessary from safety point of view and on reference from AEN	Para-1005, IRBM
3.0	Gangs		
3.1	Work quality	Minimum one gang per PW/ every three months to evaluate the system.	
3.2	Equipments & Safety rules at Gangs, L-Xings etc.	Minimum of one in six months to evaluate safety consciousness	
4.0	Patrollings		
4.1	Monsoon Patrolling	Minimum of one inspection in two months to evaluate adequacy of safety	
4.2	Other patrollings	As and when required.	
5.0	Night Inspection	Minimum of Once in three months. More intensive during monsoons.	
6.0	Ash Pit	When referred/during trolley inspections.	
7.0	Water Supply & other Installations	At least once a year for all the important installations, viz. water supply, sanitation workshops, sheds, stations, colonies, structures etc.	CE and DSE/Coord. to specify the list of important installations
8.0	Verification of land boundary	During trolley inspections specially at vulnerable locations	
9.1	CSM, BCM, FRM P&C Taper, DTS T.28, PQRS	Once a month, when working in section	
9.2	UT, UNO, DUO, BRM and Sleeper Changer	Atleast once a fortnight	
9.3	Review of inspection done by AEN/Sr. AEN/PW/IOW	Atleast once during the period of working in their section	
9.4		Once a month 100%	

ड. उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी या प्रभारी कार्यपालक इंजीनियर(टीएमसी)
का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.0	सीएसएम, पी एंड सी टैंपर्स, डीटीएस, टी-28, पीब्यूआरएस, यूटी, यूएनओ, डीयूओ, बीआरएम और स्लीपर चेंजर	ब्लॉक संचालन सहित तीन माह में एक बार	
2.0	बीसीएम, एफआरएम, टीआरटी	लॉक संचालन सहित 45 दिन में एक बार	
3.0	सहायक इंजीनियर/टीएमसी, कार्यपालक इंजीनियर/टीएमसी द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा	एक माह में एक बार	

च. उप मुख्य इंजीनियर (पुल) का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.	ऐसे पुलों का इस्पात संबंधी कार्य i) जैसाकि अपेक्षित हो, रजिस्टर की संवीक्षा के बाद निरीक्षण ii) जैसा कि मुख्य पुल इंजीनियर द्वारा निर्देश दिया गया हो	एक वर्ष में एक बार एक वर्ष में एक बार	पैरा 1106, भारतीय रेल पुल नियमावली

E. INSPECTION SCHEDULE OF DY.CE/TMC OR XEN(TMC) INCHARGE

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	CSM, P&C Tamper, DTS T-28, PQRS, UT, UNO, DUO BRM & Sleeper Changer	Once in three months, including block working	
2.0	BCM, FRM, TRT	Once in 45 days, including block working.	
3.0	Review of inspections done by AEN/TMC, XEN/TMC	Once in a month.	

F. INSPECTION SCHEDULE OF DY.CHIEF ENGINEER (BRIDGES)

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.	Steel work of such bridges i) As called for, inspection after scrutiny of register ii) As directed by Chief bridge Engineer	Once a year Once a year	para 1106 IRBM *

छ. वरिष्ठ सहायक इंजीनियर/सहायक इंजीनियर का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.0	रेलपथ		
1.1	स्टेशनों तथा छोटी-मोटी मरम्मत		
	पुस्तिकाओं सहित पुश ट्रॉली - मुख्य लाइन शाखा लाइन	माह में एक बार दो माह में एक बार	
1.2	मोटर ट्रॉली	कुछ नहीं	पैरा 107(1) भारतीय रेलपथ नियमावली
1.3	फुटप्लेट/ब्रेकवेन	माह में एक बार	पैरा 107(2) भारतीय रेलपथ नियमावली
1.3.1	रात्रिकालीन फुटप्लेट/ब्रेकवेन	माह में एक बार	
1.4	निजी साइडिंग	12 माह में एक बार	
1.5	टीआरसी/ओएमएस चालन	प्रत्येक टीआरसी और ओएमएस चालन के साथ	पैरा 111 भारतीय रेलपथ नियमावली
1.6	कॉटे एवं पारण पैसंजर और चालन लाइनों पर अन्य लाइनों तथा यार्ड लाइनों पर	वर्ष में एक बार कार्यक्रमबद्ध आधार पर प्रत्येक वर्ष समग्र का 1/10	पैरा 107(5) भारतीय रेलपथ नियमावली
1.7	वक्र	प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक रेलपथ निरीक्षण के अधीन एक वक्र	पैरा 107(4) भारतीय रेलपथ नियमावली
1.8	समपार	प्रत्येक छह माह में एक बार	पैरा 107(3) भारतीय रेलपथ नियमावली
1.9	एलडब्ल्यूआर	नेमी पुश ट्रॉली निरीक्षणों के दौरान दरारों का रिकॉर्ड	एल डब्ल्यू आर मैनुअल (1996) पैरा 9.1.7
1.10	एमईजे	प्रत्येक छह माह में एक बार अधिमानतः सर्वाधिक गर्म और सर्द माह में	एलडब्ल्यूआर नियमावली (1996) पैरा 8.1.5
1.11	रात्रिकालीन निरीक्षण	एक माह में कम से कम एक बार	
1.12	रात्रिकालीन निरीक्षण रात्रि में जांच	स्थानीय कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति के अनुरूप उपयुक्त साधनों द्वारा रात्रि में एक माह में कम से कम एक बार	

G. INSPECTION SCHEDULE OF SR. AEN/AEN

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	P. Way		
1.1	Push Trolley including station & petty repair books -Main line Branch Line	Once a year Once in two months	
1.2	Motor Trolley	Nil	Para 107 (1) IRPWM
1.3	footplate/Brake-Van	Once a month	
1.3.1	Night foot plate/Brake Van	Once a month	
1.4	Private Sidings	Once in 12 months	
1.5	TRC/OMS Runs	Accompanying each TRC and OMS run	Para 111 IRPWM
1.6	Points & crossings on passenger & running lines Other lines and yard lines	Once a year 1/10* of total every year on programme basis	IRPWM para 107 (5)
1.7	Curves	One curve every quarter under each PWI	IRPWM para 107 (4)
1.8	Level Crossings	Once every six months	IRPWM para 107 (3)
1.9	LWRs	Creep records during routine push trolley inspections	LWR MANUAL (1996) Para 9.1.7
1.10	SEJs	Once every six months preferably hottest and coldest month	LWR MANUAL (1996) Para 8.1.5
1.11	Night Inspection	Minimum once in a month	
1.12	Night Inspection checking of patrolling	Minimum once a month in night by suitable means to match the local law and order situations.	

1.13	रेलपथ गश्त	गर्म एवं सर्द मौसम - जैसा अपेक्षित हो	
1.14	मानसून गश्त	भूभाग की अपेक्षाओं के आधार पर प्रत्येक माह कम से कम एक निरीक्षण	पैरा 107(6) भारतीय रेलपथ नियमावली
1.15	पराश्रव्य द्रव्य संसूचक परीक्षण की जाँच	प्रत्येक ट्रॉली निरीक्षण के दौरान	
1.16	वेल्डिंग स्थल पर	प्रत्येक स्थल एक माह में	
2.0	गैंग		
2.1	उपकरण और नियम सहित गैंग कार्य	प्रत्येक माह में प्रति रेलपथ निरीक्षक कम से कम एक गैंग	
2.2	भुगतान पर निगरानी	प्रत्येक एक माह में कम से कम एक निरीक्षक का गैंग	पैरा 114 रेलपथ नियमावली भारतीय
3.0	कटाव	वर्षा की शुरुआत से पहले वर्ष में एक बार. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा भेद्य कटाव का निर्णय लिया जाएगा.	पैरा-1011 भारतीय रेलपथ नियमावली
4.0	राख गत/निरीक्षण गत	वर्ष में एक बार (पैसेंजर लाइनों पर)	-यथोक्त-

1.13	Track patrolling,	Hot and cold weather-As needed	
1.14	Monsoon patrolling	Minimum one inspection every month depending on requirements of terrain.	Para 107 (6) IRPWW
1.15	Test check of USFD testing	During every trolley inspection	
1.16	At Welding Site	Each site once a month	
2.0	Gangs		
2.1	Gangs Work including Equipments and Rules	Minimum one gang per PWI every month	
2.2	Withnessing Payment	Minimum one-Inspector's gang every month	Para 114, IRPWW
3.0	Cuttings	Once a year before onset of rains. Vulnerable cuttings to be decided by Sr. DEN/DEN.	Para-1011 IRBM
4.0	Ash pit/inspection pit	Once a year (on passengers lines)	-do-8

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
6.0	निर्माण कार्य निरीक्षण		
6.1	i) रेलवे को प्रभावित करने वाले निर्माण कार्य/टैंक (जलाशय)	स्थानीय/सरकारी निकाय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की संवीक्षा के बाद प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के लिए वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा विनिर्दिष्ट वे सभी रेलवे को प्रभावित करने वाले निर्माण कार्य/टैंक*** जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण	पैरा 726, भारतीय रेलपथ नियमावली
	ii) नहर तथा सिंचाई क्रॉसिंग		पैरा 1103, भारतीय रेलपथ नियमावली
6.1.1	संरचनाएं यथा कर्मशाला चालन, प्लेटफार्म शेड जिनमें छतों की कैची "संचटित" स्थाणुक पर स्थापित की गई	प्रत्येक वर्ष तीसरा हिस्सा	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली 2323(क)
6.1.2	ढलवां इस्पात, पिटवां लोहा अथवा प्रबलित इस्पात प्लेट की जल टैंकियां एवं उनकी स्टेजिंग चाहे वो इस्पात सेक्शन या पटरियों की हो और फ्लड लाइट टावरो की हो	कार्यक्रमबद्ध आधार पर प्रत्येक वर्ष में आधा हिस्सा	-यथोक्त-
6.1.3	रेलवे भूमि पर धार्मिक संरचनाएं	वर्ष में एक बार	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली 3722
6.2	इमारतें i) सेवा इमारतें ii) कॉलोनियां	यथासंभव अधिक से अधिक इमारतें विशेषकर जिन्हें भारी मरम्मत की आवश्यकता हो	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली 2319(ख)
6.3	जल संस्थापनाएं	तीन माह में एक बार	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली 2538(ग)
7.0	भूमि - भूमि परिसीमा का सत्यापन		

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
6.0	works inspection		
6.1	i) Railway affecting works/tanks	List of RAWs/RATs to be specified by Sr.DEN/DEN for joint inspection with a state authorities every year after scrutiny of the report submitted by the local/Govt. Body.	Para 726, IRPWM
	ii) Canal and Irrigation Crossing	Joint inspection with state government officers wherever necessary.	Para 1103, IRBM
6.1.1	Structures such as works shops running, P.F. Sheds in which roof trusses and fixed to "bulup" stachions	1/3 rd every yera	IRWWW, 2323 (a)
6.1.2	C.I, W.I, or pressed steel plate water tanks and stagings whether of steel section or rails and flood light towere	One half every year on a programme basis	-do-
6.1.3	Religious structures on Railway land	Once a year	IRWWW 3722
6.2	Buildings i) Service Building ii) Colonies	As many buildings as possible particularly those requiring heavy repairs	IRWWW 2319 (b)
6.3	Water installations	Once in three months	IRWWW 2538(C)
7.0	LAND - Verification of land boundaries		

7.1	स्टेशन यार्ड में	वर्ष में एक बार	बोर्ड का दिनांक 8.3.85 का पत्र सं. 84/डब्ल्यू2/एलएम/19/2
7.2	सेक्शन में	अतिक्रमण रजिस्टर की जांच करने के लिए वर्ष में एक बार	दिनांक 8.3.85
8.0	निर्माण निरीक्षक/रेलपथ निरीक्षक के कार्यालय और भंडार का निरीक्षण और जांच	वर्ष में न्यूनतम एक बार संपूर्ण जांच विशेषकर भंडार और अग्रदाय, प्रत्येक ट्रॉली निरीक्षण के दौरान नेमी निरीक्षण	पैरा 115, भारतीय रेलपथ नियमावली
9.0	रेलपथ मशीन	उसकी अधिकारिता में कार्यरत सभी मशीनें	एक माह में एक बार
9.1			जारी की जा रही भारतीय रेलपथ मशीन नियमावली का पैरा 5.3.3 और अनुलग्नक 5.2
10.0	रेलपथ निरीक्षक, निर्माण निरीक्षक, मेट, कीमैन के निरीक्षणों की समीक्षा	रेलपथ, निर्माण निरीक्षक-नेमी निरीक्षण, ट्रॉली निरीक्षण के दौरान 100%. अन्य कर्मचारियों (रेलपथ निरीक्षक और निर्माण निरीक्षक से इतर) के लिए तीन माह में एक बार	
11.0	सहायक बिजली इंजी./सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजी./सहायक यांत्रिक इंजी. के साथ विनिर्दिष्ट संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में एक बार या यथाविनिर्दिष्ट	

7.1	In station yard	Once a year	Board's letter on 84/W2/LW/19/2 dt. 8.3.85
7.2	In section	Once a year to check encroachment register	
8.0	Inspection and checking of office and store of IOW/PWI	Minimum Once a year thoroughly especially stores and imprest. Routine inspection during each trolley inspection.	Para 115 IRPWM
9.0	Track Machine		
9.1	All track machine working in his jurisdiction	Once in a month	Para 5.3.3 and Annexure 5.2 of IRTMM* under issue
10.0	REVIEW OF INSPECTIONS BY PWI, IOWs, MATES, KEY MAN	PW, IOWs-routine inspection 100% during Trolley inspections. For other staff, (other than PWI and IOW), once in three months.	
11.0	Specified joint inspection with AEE/ASTE/AME	Once a year or as specified.	

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
12.0	पुल		
	i) अग्रीमिचले सड़क पुलों सहित सभी पुल जिसमें 12.2 मीटर और उससे अधिक स्पैन के कंपोजिट, आरसीसी, पीएससी एवं स्टील गर्डर पुल की अधिसंरचनाओं के विस्तृत निरीक्षण को छोड़कर नींव, उपसंरचना, अधिसंरचना, संरक्षण कार्य, पुलों पर रेलपथ, पट्टुचमार्ग शामिल हैं	i) मानसून के बाद वर्ष में एक बार	पैरा 102, भारतीय रेल पुल नियमावली
	ii) सभी गर्डरों, पुलों, पीएससी, आरसीसी, कंपोजिट और उनके बेयरिंगों तथा इस्पात संबंधी कार्य की सामान्य स्थिति	ii) मानसून के बाद वर्ष में एक बार	पैरा 102, भारतीय रेल पुल नियमावली
	iii) वे पुल जिनकी स्थिति पर विशेष ध्यान अपेक्षित है	iii) अपेक्षाकृत अधिक बार निरीक्षण किया जाए.	पैरा 509, भारतीय रेल पुल नियमावली
	iv) जीर्ण-शीर्ष पुल क) कोटि I ख) कोटि II	iv) क) दो माह में एक बार ख) छह माह में एक बार	पैरा 509, भारतीय रेल पुल नियमावली
13.0	सुरंग		
13.1	उप मंडल में सभी सुरंग	मानसून से पहले वर्ष में एक बार	पैरा 1004, भारतीय रेल पुल नियमावली
13.2	सुरंग की ऐसी स्थिति जिसके लिए विशेष ध्यान अपेक्षित है	अपेक्षाकृत अधिक बार निरीक्षण किया जाए.	पैरा 1004, भारतीय रेल पुल नियमावली

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
12.0	Bridges		
i)	All bridges including ROB/ROBs of covering foundation, sub structure, superstructure, protective works, track over bridges, approaches except detailed inspections of superstructure of composite, R.C.C., PSC and Steel Girder bridges of 12.2 m span and above.	i) Once a year after Monsoon	Para 102 IRBM
ii)	General conditions of steel work of all girders, bridges, PSC, RCC, composite and their bearings.	ii) Once a year after Monsoon	Para 102, IRBM
iii)	Bridges whose Condition warrant special attention	ii) To be inspected more frequently	Para 509 IRBM
iv)	Distressed Bridges	iv)	
a)	Category I	a) Once in two months	Para 509 IRBM
b)	Category II	b) Once in six months	Para 509 IRBM
13.0	Tunnels		
13.1	All tunnels on the sub division	Once a year before monsoon	1004, IRBM
13.2	Tunnels condition of which warrant special attention	To be inspected more frequently	Para 1004, IRBM

ज. पुल संबंधी कार्यों के लिए नामित मंडल इंजीनियर/पुल संबंधी कार्यों के लिए मंडल इंजीनियर(पुल)/कार्यपालक इंजीनियर(पुल)/सहायक पुल इंजीनियर/सहायक इंजीनियर(पुल) का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण वर	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.	12.20 मीटर स्पैन और इससे अधिक स्पैन वाले इस्पात गर्डरों का निरीक्षण	प्रति वर्ष पुल निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए गए पुलों की 10% परीक्षण जांच इसके अलावा बीआरआई द्वारा संदर्भित पुल	पैरा 105, भारतीय रेल पुल नियमावली
2.	कैम्बर के ह्रास वाले गर्डरों / जीर्ण-शीर्ण गर्डरों का निरीक्षण	वर्ष में एक बार	पैरा 105, भारतीय रेल पुल नियमावली
3.	पीआरसी, आरसीसी और कंपोजिट गर्डर	प्रति वर्ष पुल निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए गए पुलों की 10% परीक्षण जांच.	पैरा 105, भारतीय रेल पुल नियमावली
4.	पुल निरीक्षक द्वारा विशेष रूप से संदर्भित पुल और ऐसे पुल जिनका निरीक्षण रजिस्टर की संवीक्षा के बाद अपेक्षित है	प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद	पैरा 1105, भारतीय रेल पुल नियमावली
5.	इस्पात संरचनाओं का निरीक्षण (कर्मशालाएं/लोकोशेड और अन्य हल्की इस्पात संरचनाएं)	पांच वर्ष में एक बार	पैरा 901, भारतीय रेल पुल नियमावली
6.	अपने कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा	वर्ष के दौरान 100%	
7.	भंडार और कार्यालय, यदि कोई हो, का निरीक्षण	स्थल पर दौर के दौरान 100%	

H. INSPECTION SCHEDULE OF NOMINTED DEN FOR BRIDGE WORK/DEN(BRIDGE)/XEN(BRIDGE)/ABE/AEN(BRIDGE)FOR BRIDGEWORKS

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.	Inspection of steel Girders 12.20m spans and above	10% test check of the bridges inspected by BRIs every year. In addition bridges referred by BRI.	para-105, IRBM
2.	Inspection of girders having loss of camber/ Distress Girder.	Once a year	Para-105 IRBM
3.	PRC, RCC and composite girder	10% test check of the bridges inspected by BRIs every year	Para-105 IRBM
4.	Bridge specifically referred by BRI and Bridges which call for inspection after scrutiny of register	Every year after monsoon	Para 1105, IRBM
5.	Inspection of steel structure (workshops/loco sheds and other light steel structures)	Once in five years	Para 901, IRBM
6.	Review of Inspections done by his junior officials.	100% during the year	
7.	Inspection of stores and office, if any	100% during the visit of site	

झ. सहायक इंजीनियर(टीएमसी)लाइन का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण वट	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.0	सीएसएम, यूनीमैट, डीटीएस यूनोमैटिक, ड्युमैटिक, यूटी, टी-28, पीक्यूआरएस, बीआरएम	माह में एक बार	जारी की जा रही भारतीय रेल ट्रेक मशीन नियमावली का 5.3.2. (ii)
2.0	बीसीएम, एसबीसी	पखवाड़े में एक बार	-यथोक्त-
3.0	टीआरटी	सप्ताह में एक बार	-यथोक्त-

टिप्पणी : उसे अपने प्रभार में मशीनों में बड़ी खराबी (3 दिन से अधिक), को स्वयं जा कर देखना चाहिए और वार्षिक ओवरहाल, मध्यवर्ती ओवरहाल तथा आवधिक ओवरहाल के अंतर्गत मशीनों का भी निरीक्षण करना चाहिए.

1. INSPECTION SCHEDULE OF AEN(TMC)LINE

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	CSM, Unimat, DTS, Unomatic, Duomatic, UT, T-28, PQRS, BRM	Once in a month.	Para 5.3.2 (ii) of IRTMM* *Under issue
2.0	BCM, SBC,	Once in a fortnight	-do-
3.0	TRI	Once in a week	-do-

Note : He should attend the major (more than 3 days) breakdowns on the machines under his charge and also inspect the machines under annual overhaul, IOH and POH.

अ. प्रभारी सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.	रेलपथ		
1.1	(क) पुश ट्रॉली (ख) उन सेक्शनों में जहां कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा कोई अलग से निरीक्षण नहीं किया जाता है.	कनिष्ठ इंजीनियर के साथ एकांतर से एक पखवाड़े में एक बार सप्ताह में एक बार	पीआरसी स्लीपर युक्त तथा मशीन द्वारा अनुरक्षित सेक्शनों के लिए भारतीय रेलपथ नियमावली के लिए शुद्धि पर्वी सं. 9
1.2	फुटप्लेट और ब्रेकवैन	माह में एक बार	
1.2.1	रात्रि में फुटप्लेट	माह में एक बार	
1.3	निजी साइडिंग	तीन माह में कम से कम एक बार	
1.4	टीआरजी/ओएमएस	प्रत्येक टीआरजी और ओएमएस चालन के साथ	
1.5	पैदल निरीक्षण	यथासंभव अधिक से अधिक, आनुपातिक आधार पर ताकि समग्र सेक्शन का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जा सके.	
1.6	(क) पैसेंजर लाइन पर कांटे एवं पारण (ख) अन्य चालन लाइनों और यार्ड लाइनें (ग) बड़े यार्डों के लिए जहां कांटे एवं पारणों की संख्या 100 से अधिक है.	बारी-बारी से तीन माह में एक बार छह माह में एक बार (सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के बीच बारी-बारी से)	भारतीय रेलपथ नियमावली 124(3)
1.7	वक्र	समूह ए एवं बी मार्गों को छोड़कर जहाँ प्रत्येक चार माह में एक बार जांच की जाती है, छह माह में एक	भारतीय रेलपथ नियमावली 124(4)

1. INSPECTION SCHEDULE FOR SECTION ENGINEER IN-CHARGE (P.WAY)

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	P. Way		
1.1	(a) Push Trolley (b) In section where no separate inspection is carried out by J.E.	Once a fortnight alternately with J.E., Once a week	correction Slip No. 9 to IRPWM for sections having PRC sleepers and which are machine Maintained.
1.2	Footplate & Brake-van	Once a month	
1.2.1	Night foot plate	Once a Month	
1.3	Private sidings	Atleast once in there months	
1.4	TRC/OMC	Accompanying each TRC and OMS run	
1.5	Inspection on foot	As much as possible. Atleast Once a year on pro rata basis so as to cover entire section.	
1.6	(a) Points & crossings on Passenger lines (b) Other running lines and yard lines (c) For major yards where the no. of Pts. & crossings are more than 100	Once in three months by rotation Once in six months (by rotation between sectional JE & section engineer) Once a Year	IRPWM 124 (3)
1.7	Curves	Once in six months (by rotation between sectional J. E and section engineer), except for group A&B routes in BG where the	IRPWM 124 (4)

		बार (सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के बीच बारी-बारी से)	
1.8	समपार : चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले, उपकरण, नियम, रेलपथ एवं फाटक	माह में एक बार	भारतीय रेलपथ नियमावली 124(2)
1.9	सैग-कार्य की गुणवत्ता, उपकरण तथा संरक्षा नियमों का ज्ञान	एक पखवाड़े में एक बार	
1.10	एलडब्ल्यू आर व एस.सी.जे.	दो सर्वाधिक सर्द और दो सर्वाधिक गर्म महीनों के दौरान एक पखवाड़े में एक बार, अन्यथा दो माह में एक बार	भारतीय एल डब्ल्यू आर नियमावली
1.11	एसडब्ल्यूआर-क्रीप/अंतराल सर्वेक्षण	वर्ष में एक बार, अन्यथा दो माह में एक बार	
2.0	गश्त		
2.1	रेलपथ गश्त		
2.1.1	उपकरण	माह में कम से कम एक बार	
2.1.2	नियम	एक पखवाड़े में कम से कम एक बार	
2.1.3	अस्थायी इंजीनियरी स्थापित सिग्नलों और समपार फाटकों सहित रात्रिकालीन निरीक्षण	क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त साधन से माह में कम से कम एक बार	
2.2	मानसून गश्त	एक पखवाड़े में कम से कम एक गश्त	
2.3	गर्म मौसम गश्त	सर्वाधिक तापमान के दौरान आवश्यकता के आधार पर अक्सर	भारतीय रेलपथ नियमावली

		check should be conducted once in every four months	
1.8	Level crossing : manned/unmanned equipments, rules track and gates	Once in a month	IRPWM 124 (2)
1.9	Gangs-Quality of work, equipment and Knowledge about safety rules	Once a fortnight	
1.10	LWRs & SEJs	Once a fortnight during two coldest and two hottest months. Otherwise once in two months	LWR Manual
1.11	SWRs-Creep/Gap Survey	Once a Year, otherwise once in two months	
2.0	Patrollings		
2.1	Track patrolling		
2.1.1	Equiprient	Atleast once a month	
2.1.2	Rules	Atleast once a fortnight	
2.1.3	Night inspection including temporary engineering fixed signals and level crossing gates	Atleast once a month through suitable mode depending on need for the area.	
2.2	Monsoon patrolling	Atleast one inspection a fortnight	
2.3	Hot weather patrolling	Frequently need basd during hottest temperature.	IRPWM

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
3.0	पुल एवं सुरंगों		
3.1	पुल (रेलपथ रनऑफ फ्रेम तथा पैदलपथ सहित)	मानसून से पहले वर्ष में कम से कम एक बार	पैरा-117, भारतीय रेल पुल नियमावली
3.2	सुरंगों	मानसून के बाद वर्ष में एक बार	पैरा 1001, भारतीय रेल पुल नियमावली
4.0	कटाव-वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा चिह्नित विशेष रूप से संवेदनशील - एक रजिस्टर में दर्ज की जाए	मानसून के बाद एक बार, यदि पिछले अनुभव से यह पता चलता हो कि उस स्थान पर अधिक कटाव होते हो तो अधिक बार निरीक्षण वर्ष में एक बार (टर्न टेबल और उसके पहुंच मार्गों पर रेलपथ)	पैरा-1011, भारतीय रेल पुल नियमावली
5.0	टर्न टेबल		
6.0	राख गलत/निरीक्षण गलत	वर्ष में एक बार (निर्माण निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से)	
7.0	ब्लॉक सेक्शन में भूमि परिसीमा का सत्यापन	वर्ष में कम से कम एक बार	
8.0	रेलपथ मशीनें		
8.1	सीएसएम, बीसीएम, एफआरएम, पी एंड सी टैपर, डीटीएस, यूटी, यूनआ, डीयूडी, बीआरएम एवं स्लीपर चेंजर	ब्लॉक संचालन के दौरान एक सप्ताह में दो बार	
8.2	टी-28, पीक्यूआरएम	ब्लॉक संचालन के दौरान एक सप्ताह में दो बार (यदि कोई अलग प्रभावी नहीं है तो एक सप्ताह में एक बार)	
8.3	लाइट ड्रयटी (चीनी किस्म के) टैपरों सहित सभी छोटी मशीनें	एक पखवाड़े में एक बार	भारतीय रेलपथ नियमावली पैरा 124(घ) (शुद्धि पृष्ठ सं. 6)
9.0	कांटे एवं पारणों का संयुक्त निरीक्षण		
9.1	पैसेंजर चालन लाइनों पर अंतर्पाशित कांटे	यदि सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाए तो सेक्शन इंजीनियर (एस एंड टी) के साथ 3 माह में एक बार	
9.2	पैसेंजर चालन लाइनों से इतर पर अंतर्पाशित कांटे	यदि सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाए तो सेक्शन इंजीनियर (एस एंड टी) के साथ 6 माह में एक बार	
10.0	कनिष्ठ इंजीनियरों, मेट, कीमैन और गलत कर्मियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा	माह में कम से कम एक बार प्रत्येक निरीक्षण के दौरान	

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
3.0	Bridges & tunnels		
3.1	Bridges (including track run off frame and footpath)	Atleast once a year prior to monsoon	Para-117, IRBM
3.2	Tunnels	Once a year after monsoon	Para 1001, IRBM
4.0	Cutting - specially vulnerable identified by Sr. DEN/DEN - to be recorded in a register	Once after monsoon, More frequent inspections if past history and vulnerability so requires.	Para-1011, IRBM
5.0	Turn tables	Once a year (track on turn tables and its approaches)	
6.0	Ash pit/inspection Pit	Atleast once a year (jointly with IOW)	
7.0	Land boundary verification in block section	Atleast once a year	
8.0	Track machines		
8.1	CSM, BCM, FRM, P&C, Tamper, DTS, UT, UNO, DUO, BRM & Sleeper Changer	Twice a week during block working	
8.2	T-28, PQRS	Twice a week (once a week if there is no separate Inch-charge) during block working	
8.3	All small machines including light duty (chinese-type) tamper	Once in a fortnight	IRPWM para 124 (d) (C. S. No. 6)
9.0	Joint inspection of Points & Crossings		
9.1	Interlocked point on passenger running lines	Once in 3 months with section engineer (S & T) if not done by sectional J. E.	
9.2	Interlocked points on other than passenger running lines	Once in 6 months with Section Engineer (S&T) if not done sectional J. E.	
10.0	Review of Inspections done by J.Es, Mate, Key-man and Patrollers etc.	During each inspection atleast once a month.	

ड. कनिष्ठ सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ) के लिए निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.	रेलपथ		
1.1	पुश ट्रॉली	सप्ताह में कम से कम एक बार	पैरा 139(1), भारतीय रेलपथ नियमावली
1.2	फुटप्लेट और ब्रेकवैन	माह में एक बार	
1.3	निजी साइडिंग	तीन माह में कम से कम एक बार	
1.4	टीआरसी/ओएमएस रन	एकांतर से वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर के साथ	
1.5	पैदल निरीक्षण	आनुपातिक आधार पर प्रत्येक माह ताकि समग्र सेक्शन का सुव्यवस्थित तरीके से छह माह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जा सके	
1.6	पैसेंजर चालन लाइन पर कांटे एवं पारण अन्य लाइनें और यार्ड बड़े यार्डों के लिए जहां कांटे एवं पारणों की संख्या 100 से अधिक है.	तीन माह में एक बार (सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के बीच बारी-बारी) छह माह में एक बार (सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के बीच बारी-बारी से) वर्ष में एक बार****	भारतीय रेलपथ नियमावली 139(2)
1.7	मोड़ समूह ए और बी मार्ग अन्य मार्ग	चार माह में एक बार (सेक्शनल कनिष्ठ इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के बीच बारी-बारी से)	भारतीय रेलपथ नियमावली 139(3)
1.8	समपार : चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले उपकरण, नियम, रेलपथ एवं फाटक	माह में एक बार	भारतीय रेलपथ नियमावली 139(4)
1.9	गैंग		
1.9.1	गैंग कार्य	सप्ताह में एक बार	

K. INSPECTION SCHEDULE OF JUNIOR ENGINEER (P.WAY)

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	P. Way		
1.1	Push Trolley	At least once a week	Para 139 (1) IRPWM
1.2	Footplate & Brake-van	Once a month	
1.3	Private sidings	Once in three months	
1.4	TRC/OMS Runs.	Accompanying alternate with Sr. Section Engineer	
1.5	Inspection on foot	At least once in six months in a systematic manner (every month prorata basis so as to cover entire of running track).	
1.6	Points & crossings on Passenger running lines Other lines and yards For major yards where the no. of Points and crossings are more than 100	Once in three months (by rotation between sectional JE and section engineer) Once in six months (by rotation between sectional JE and section engineer) Once a year	IRPWM 139 (2)
1.7	Curves Group 'A' and 'B' routes Other routes	Once in four months (by rotation between sectional JE and section engineer)	IRPWM 139 (3)
1.8	Level crossings: manned and unmanned, equipments rules, track & gates	Once a month	IRPWM 139 (4)
1.9	Gangs		
1.9.1	Gang Work	Once a week	

1.9.2	उपकरण	माह में एक बार	
1.9.3	नियम	माह में एक बार	
1.9.4	भुगतान पर निगरानी	यदि अपेक्षित हो, माह में एक बार	
1.10	एलडब्ल्यूआर और एसईजे	दो सर्वाधिक सर्द और दो सर्वाधिक गर्म महीनों के दौरान एक पखवाड़े में एक बार, अन्यथा दो माह में एक बार	एलडब्ल्यूआर नियमावली (1986) का पैरा 8.1.5
1.11	निजी साइडिंगें	तीन माह में एक बार	
2.0	गश्त		
2.1	रेलपथ गश्त	सप्ताह में एक बार	
2.1.1	उपकरण	माह में एक बार	
2.1.2	नियम	एक सप्ताह में एक बार	
2.1.3	अस्थायी इंजीनियरी स्थापित सिग्नलों और समपार फाटकों सहित रात्रिकालीन निरीक्षण	एक पखवाड़े में एक बार	
2.2	मानसून गश्त (बारी-बारी से सेक्शनों को शामिल किया जाए)	प्रभारी वरिष्ठ इंजीनियर (रेलपथ) के साथ बारी-बारी से सप्ताह में एक बार	
2.3	सर्म मौसम गश्त	सर्वाधिक तापमान के दौरान आवश्यकता के आधार पर सप्ताह में कम से कम एक बार	भारतीय रेलपथ नियमावली

1.9.2	Equipment	Once a month	
1.9.3	Rules	Once a month	
1.9.4	Witnessing payment	Once a month, if required.	
1.10	LWRs and SEJs	Once a fortnight during two coldest and two hottest month. Otherwise once in two months	Para No. 8.1.5 LWR manual (1996)
1.11	Private sidings	Once in three months	
2.0	Patrolling		
2.1	Track patrolling	Once in week	
2.1.1	Equipment	Once a month	
2.1.2	Rules	Once a week	
2.1.3	Night inspection including temporary engineering fixed signals and level crossing gates	Once a fortnight	
2.2	Monsoon patrolling (to cover the sections in rotation)	One inspection a week by rotation with SE (P. Way)-incharge	
2.3	Hot weather patrolling	Need based during hottest temperature- Minimum of once a week.	IRPWM

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
3.0	राख गत/निरीक्षण गत	छह माह में एक बार	
4.0	ब्लॉक सेक्शन में भूमि परिसीमा सत्यापन	छह माह में एक बार	
5.0	कांटे एवं पारणों का संयुक्त निरीक्षण		
5.1	पैसेंजर चालन लाइनों पर अंतर्पाशित कांटे	कनिष्ठ इंजीनियर (सि.एच.टू.) के साथ तीन महीनों में एक बार अगर सेक्शन इंजीनियर द्वारा नहीं किया	
5.2	पैसेंजर चालन लाइनों से इतर लाइनों पर अंतर्पाशित कांटे	सेक्शन इंजीनियर (सि.एच.टू.) के साथ छह महीनों में एक बार अगर सेक्शन इंजीनियर द्वारा नहीं गया हो	
6.0	मेट, कीमैन और गश्तकर्मियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा	संरक्षा नियम एवं उपकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिन एवं रात्रिकालीन निरीक्षण	

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
3.0	Ash pit/Inspection Pit	Once in six months	
4.0	Land boundary verification in block section	Once in Six months	
5.0	Joint inspection of points & crossings		
5.1	Interlocked points on passenger running lines	Once in 3 months with junior engineer (S&T) if not done by S.E.	
5.2	Interlock points on other than passenger running Lines	Once in 6 months with section engineer (S&T) if not done by S.E.	
6.0	Review of inspections done by mate, Keyman and patrollers	During various day and night inspections to ensure safety rules and equipment.	

ट. सेक्शन इंजीनियर/प्रभारी(निर्माण) का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.	इमारतें	वर्ष में एक बार सभी इमारतों का मुख्यवस्थित तरीके से निरीक्षण किया जाए और मरम्मत का विवरण सहायक इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाए	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली 2319
2.0	संरचनाएं- संरचना इस्पात एवं इमारती लकड़ी का काम		
2.1	संरचनाएं जैसे कारखाने, घातन शेड, प्लेटफॉर्म शेड, छत कैची, पैदली अगरी पुल	निर्धारित महीनों के दौरान वर्ष में एक बार	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली 2323
2.2	ढलवां लोहा, पिटवां लोहा या प्रबलित इस्पात प्लेट की जल टंकियां और स्ट्रेजिंग चाहे इस्पात सेक्शन या पटरियों की हों तथा फ्लड लाइट टाबरो की हों	कार्यक्रमबद्ध आधार पर प्रत्येक छिमाही में	यथोक्त
2.3	छत कैची युक्त संरचनाएं : अन्य संरचनाएं जिनमें संरचना के किसी भाग को आलंब प्रदान करने के लिए इमारती लकड़ी, पट्टी अथवा इस्पात कार्य प्रयुक्त हो; जैसे मेहराबों को छोड़कर मेहराबदार छतों की छड़ें; अस्थायी किलोमीटररेज (माइलेज) पर स्लीपर क्रिबों पर डब्यू.एल. या एम.एस. टंकियां		
3.0	जल आपूर्ति संस्थापनाएं	वर्ष में एक बार	
4.0	बाह्य मल एवं जलनिकासी प्रणाली	कुशल अनुरक्षण के लिए अक्सर	भारतीय रेलपथ एवं कार्य नियमावली
5.0	स्टेशन(छोटी-मोटी मरम्मत पुस्तिका की जांच करना और मरम्मतों की व्यवस्था करना)	माह में एक बार	यथोक्त-
6.0	पुल एवं सुरंगें		

L. INSPECTION SCHEDULE OF SECTION ENGINEER-IN-CHARGE (WORKS)

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	Building	All buildings to be systematically inspected and particulars or repairs submitted to the AEN once a year	IRWWW 2319
2.0	Structure - Structural steel & timber works		
2.1	Structure such as workshop running sheds, P.F. sheds roof trusses, Foot over bridge	Once a Year during prescribed months	IRWWW 2323
2.2	C.I., W.I or pressed steel plate watertanks and stagings whether of steel section or rails and flood light towers	One half every on a programme basis	-do-
2.3	Structures with roof trusses; other structures in which timber, rail or steel work is used to support any part of structure; tie rods of arch roofs excluding jack arches; W. L. or M. S. tanks on sleeper cribs at temporary water kilometerages (mileages).		
3.0	Water supply installations	Once a year	
4.0	Sewerage & drainage system	Frequently for efficient Maintenance	IRWWW
5.0	Stations (checking petty repair book and arranging repairs)	Once a month	-do-
6.0	Bridges & tunnels		

6.1	उमरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों/उमरी पैदल पुलों (रेलपथ और पहुंच मार्गों को छोड़कर) छोटे, बड़े और महत्वपूर्ण पुल	वर्ष में एक बार (मानसून से पहले अर्थात् अप्रैल से जून)	पैरा 117 एवं 1101, भारतीय रेल पुल नियमावली
6.2	भारसीसी/पीएससी स्लेब पुल/चिनाई पुल	-यथोक्त-	-यथोक्त-
6.3	सुरंग	मानसून के बाद वर्ष में एक बार	
6.4	12.2 मीटर निर्बाध स्पैन से कम गडरों के इस्पात कार्यों का विस्तृत निरीक्षण	पांच वर्ष में एक बार, 20% प्रति वर्ष	पैरा-1101, भारतीय रेल पुल नियमावली
7.0	राख रत/निरीक्षण रत	वर्ष में एक बार (रेलपथ निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से)	-यथोक्त-
8.0	स्टेशनों में भूमि परिसीमा सत्यापन	वर्ष में एक बार	
9.0	कॉलोनी देखभाल समिति निरीक्षण	दो माह में एक बार	
10.0	एसआईजी निरीक्षण	प्राधिकारियों द्वारा यथानिर्धारित	
11.0	कनिष्ठ इंजीनियर(निर्माण) द्वारा किए गए निरीक्षणों, शिकायत पुस्तिकाओं, सेट एवं अन्य कामगारों की समीक्षा	यथापेक्षित	

6.1	Minor, major and important bridges including ROBS/ RUBs/FOBs (except track) and approaches	Once a year (prior to monsoon i.e. April to June)	Para-117 & 1101, IRBM
6.2	RCC/PSC slab bridge/ masonry bridge.	-do-	-do-
6.3	Tunnels	Once a year after monsoon	Para-1001, IRBM
6.4	Detailed inspection of steel works of girders less than 12.2m clear span	Once in five years. 20% per year	Para-1101, IRBM
7.0	Ash Pit/Inspection pit	Once a year (jointly with PWI)	-do-
8.0	Land boundary Verification in Stations	Once a year	-do-
9.0	Colony care Committee Inspections	Once in two months	
10.0	SIG Inspection	As prescribed by authorities	
11.0	Review of inspection done by JE (Works), complaint books, mate & other artisan	As and when required	

ड. वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/कनिष्ठ इंजीनियर/पुल

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.0	ऊपरी रेल पुलों/निचले रेल पुलों सहित 12.2 मीटर निबंध स्वीन और उससे अधिक लंबाई के सभी गार्डरों के इस्पात कार्य एवं बेयरिंगों का निरीक्षण	पांच वर्ष में एक बार, 20% प्रति वर्ष	पैरा 1102, भारतीय रेल पुल नियमावली
2.0	वेल्ड किए हुए गार्डर	तीन वर्षों में एक बार, प्रारंभिक निरीक्षण संस्थापना के एक वर्ष के बाद किया जाएगा.	पैरा 1102, भारतीय रेल पुल नियमावली
3.0	गार्डर जो अत्यधिक दबाव में हैं और उन्हें निगरानी में रखा गया है	वर्ष में कम से कम एक बार	पैरा 1102, भारतीय रेल पुल नियमावली
4.0	सभी पीएससी/आरसीसी/कंपोजिट गार्डरों की अक्षिसंरचना	पांच वर्ष में एक बार, प्रारंभिक निरीक्षण संस्थापना के एक वर्ष के बाद किया जाएगा.	पैरा 1102, भारतीय रेल पुल नियमावली
5.0	क) पुराने इस्पात गार्डरों की फंश प्रणाली ख) अन्य सदस्य	क) वर्ष में एक बार ख) पांच वर्ष में एक बार	पैरा 1102, भारतीय रेल पुल नियमावली, पैरा , भारतीय रेल पुल नियमावली
6.0	कारखानों/लोको शेडों की इस्पात संरचनाएं, हल्के इस्पात की संरचनाएं	जैसा मुख्य पुल इंजीनियर द्वारा आदेश दिया गया हो	पैरा 901, भारतीय रेल पुल नियमावली
7.0	कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा किए निरीक्षणों की समीक्षा एवं चालित लाइन		

ड. सी.एफ.ओ.(टीएमसी)लाइन का निरीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	निरीक्षण मद	न्यूनतम कार्यक्रम	प्राधिकार
1.0	सीएसएम, यूनीमैट, डीटीएम, यूनोमैटिक, ड्यूमैटिक, यूटी, टी-28, पीक्यूआरएम, बीआरएम	एक पखवाड़े में एक बार	जारी की जा रही भारतीय रेलपथ मशीन नियमावली का पैरा 5.3.2(ii)
2.0	बीसीएम, एसबीसी	एक मंजाना में एक बार	-यथोक्त-
3.0	टीआरटी	सभी मंचालन ब्लॉकों के दौरान	-यथोक्त-

टिप्पणी : उसे अपने प्रभार में मशीनों में बड़ी खराबी (3 दिन से अधिक) खंग देखनी चाहिए और वार्षिक ओवरहाल, मध्यवर्ती ओवरहाल तथा आवधिक ओवरहाल के अंतर्गत मशीनों का भी निरीक्षण करना चाहिए.

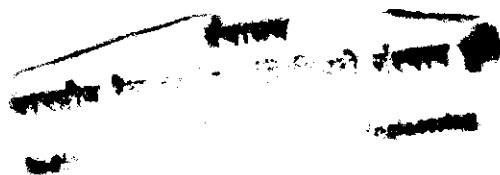
M. SR. SECTION ENGINEER/SECTION ENGINEER/JR. ENGINEER/BRIDGE

S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	Steel Works and bearings of all girders 12.2m clear span and above including that of ROB's/RUB's	Once in five years. 20% per year	Para 1102, IRBM
2.0	Welded girders	Once in three years. The initial inspection being carried out one year after Installation	Para-1102, IRBM
3.0	Girders which are over-stressed and kept under observations	At least once a year	Para-1102, IRBM
4.0	Super structure of all PSC/RCC/Composite Girders	Once in five years. The initial inspection being carried out one year after Installation	Para-1102, IRBM
5.0	a) Floor system of Early steel girders b) Other members	a) Once a Year b) Once in five years	Para-1102, IRBM Para-, IRBM
6.0	Steel structure of work-shops/loco sheds Light steel structures	As ordered by Chief Bridge Engineer	Para 901, IRBM
7.0	REVIEW OF INSPECTIONS DONE BY JE AND OPEN LINE		

N. INSPECTION SCHEDULE OF CFO (TMC) LINE

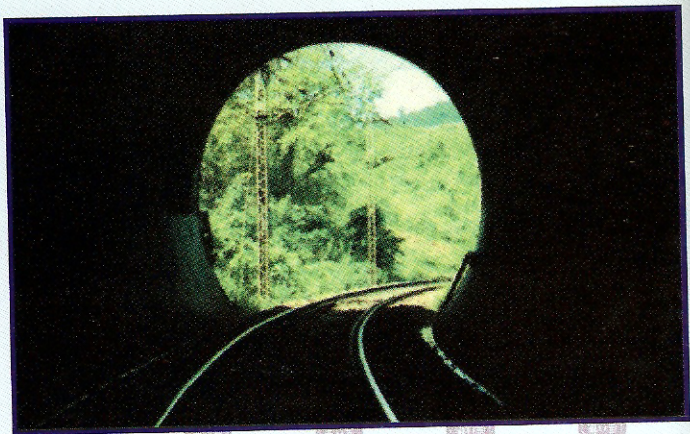
S.No.	ITEM OF INSPECTION	MINIMUM SCHEDULE	AUTHORITY
1.0	CSM, Unimat, DTS, Unomatic, Duomatic, Ut, T-28, PQRS BRM	Once in a fortnight	Para 5.3.2 (ii) of IRTMM* *Under issue
2.0	BCM, SBC,	Once in a week	-do-
3.0	TRT	During all working blocks	-do-

Note He should attend the (more than 3 days) breakdowns on the machines under his charge and also inspect the machines under annual overhaul, IOH and POH.



संरक्षा के मामले
में कभी कोई
समझौता नहीं.

**SAFETY
NEVER
SLEEPS**



**Track on Bridge and in Tunnel on
S.E. Railway**